प्रेस नोट दिनांक- 23.11.2024

कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 पशु तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 02 राशि गोवंश किये गये बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद में गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 शातिर गोतस्कर को गिरफ्तार करते हुए 02 राशि गोवंश बरामद किये गये।

पुलिस कार्यवाही विवरण- दिनांक 22.11.2024 को उ0नि0 रामसुजान यादव मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक गोतस्कर जो वाहन संख्या UP65JT-8313 से कुछ गोवंशी पशुओ को वध हेतु बिहार ले जा रहा है वहा एकत्रित करके कन्टेनरो व ट्रको में भर कर पश्चिम बंगाल पण्डुआ ले जायेगा।

इस सूचना पर उ0नि0 रामसुजान यादव मय हमराह मझवार स्टेशन के पास पहुचे कि उक्त वाहन सामने से बड़ी स्पीड से निकली जिसे पीछे से देखा गया तो दो गोवंश लदे है कि अपनी सरकारी वाहन से उक्त गाड़ी का पीछा किया गया उक्त मैजिक के ड्राइवर को मैजिक को रोकने का इशारा भी किया गया परन्तु ड्राइवर गाड़ी नहीं रोका गाड़ी को और तेज कर दिया गया।

उ0नि0 मय हमराह द्वारा बड़े साहब ढाबा डाईवर्जन लेन के पास पहुचें जहाँ पर वाहनो की गति धीमी व डाईवर्जन लेन पर जाम की स्थिति होने के कारण उक्त मौजिक जाम में फस गयी तथा मौजूदा पुलिस टीम द्वारा चालक को मौके से पकड लिया गया तथा मैजिक का डाला में 02 गोवंश लादे हुए पाया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 278/24 धारा 3/5A/8 गो वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना/जनपद चन्दौली बनाम मगरु यादव पुत्र स्व0 टेगरी यादव निवासी रामपुर महादिउल थाना- बबुरी जनपद चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष के पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1- मगरु यादव पुत्र स्व0 टेगरी यादव निवासी रामपुर महादिउल थाना- बबुरी जनपद चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-

1. मैजिक वाहन संख्या UP 65 JT 8318
2. 02 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिह
2. उ0नि0 रामसुजान यादव
3. का0 ओमप्रकाश यादव।